

FIRST INFORMATION REPORT**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

06/02/2024 09:30 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/02/2024 Time (समय): 09:30 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date and Time (दिनांक और समय): 06/02/2024 09:30 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): कैथल, जिला कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्रकाश चन्द निरीक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ०नि०ब्यूरो, गुरुग्राम GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ०नि०ब्यूरो, गुरुग्राम GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विजय सिंह तत्कालिन जी.एम.			1. Central Cooperative Bank, Kaithal KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिंह	1. 5284ए, सैक्टर-38 पश्चिम चण्डीगढ़, चण्डीगढ़, CHANDIGARH, CHANDIGARH, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल तहरीर निम्न प्रकार से है-
सेवा में,

प्रबन्धक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

मैं निरीक्षक प्रकाश चन्द बैल्ट न0 13/रेवाड़ी थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी नियुक्त हूँ। मैं अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC Act 1988 PS ACB GGM में गठित की गई SIT का सदस्य हूँ। इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार प्राप्त तथ्यों से, सामने आया है कि सहकारिता विभाग एवं ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ द्वारा जिला कैथल में तैनात श्री विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal को रिश्त दी गई है। श्री विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal द्वारा स्टालियनजीत से रिश्त की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। इसके अलावा रिश्त देने के अतिरिक्त कारण या सरकारी राशि को गबन करने वाक्या अनुसंधान के दौरान सामने आएंगे। श्री विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal द्वारा रिश्त लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- o श्री विजय सिंह दिनांक 05.01.2021 से 15.02.2021 एवं 15.03.2021 से 13.04.2021 तक GM, DCCB Kaithal के पद पर तैनात थे।
- o स्टालियनजीत सिंह व विजय सिंह के मध्य हुई Whatsapp Chat Bank Details का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री विजय सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 9466175502 से विजय सिंह पुत्र राजाराम निवासी 1017 नजदीक राजेन्द्रा हस्पताल मंडी आदमपुर का बैंक खाता संख्या 402010100027919 जो AXIS BANK में है का विवरण स्टालियनजीत सिंह को भेजा हुआ है।
- o इस बैंक खाता में दिनांक 13.01.2021 को 30,000/रुपये एवं दिनांक 22.01.2021 को 30,001/- रुपये कुल 60,001/रुपये की धन राशि स्टालियनजीत सिंह की कम्पनी M/s Loadlink Systems के खाता संख्या 000235001100043 से प्राप्त हुई है।
- o यह राशि रिश्त की है। इस समय श्री विजय सिंह सहकारिता विभाग हरियाणा के अन्तर्गत बतौर G.M Central Cooperative Bank Kaithal में कार्यरत थे।
- o अभियोग संख्या 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाईल में मौजूद Whatsapp Chat कि DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp Chat मौजूद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाईल फोन से Whatsapp Chat निकाल कर स्वेच्छा से अनुसंधान अधिकारी को दी थी। DITAC Report का अवलोकन के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया है।
- o स्टालियनजीत सिंह द्वारा ऐसे ही एक वाक्या G.M. ICDP Rewari के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में 4 अभियोग अंकित है।
- o अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि आरोपी स्टालियनजीत हरियाणा के विभिन्न ICDP Project एवं Cooperative सोसायटी के Funds के को सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिलकर गबन कर लेता है। कुछ मामलों में स्टालियनजीत ने अधिकारियों से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपूर्ति की गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामान के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया। झुठे स्वयं सहायता ग्रुप को

ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटीयों को रिश्त लेकर लोन दिया गया। ठेकेदारों से रिश्त लेकर उन्हें सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्री विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के साथ योजनाबद्ध तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का गबन करते हुए 60,001 /रु (साठ हजार एक रुपये) कि रिश्त ली गई है। स्टालियनजीत ने इस रिश्त के बदले उक्त सरकारी अधिकारी से योजनाबद्ध तरीके से सरकारी कार्य का ठेका लिया है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्त की रकम के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके। रिश्त के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature हैं। जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से क्रमांक 3068/1-2/ACB(H) dated Punchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल अम्बाला के अधिकार क्षेत्र का पाया गया है। अतः श्री विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से अनुमति लेकर सम्बन्धित मण्डल, अम्बाला में अभियोग अंकित किये जाने बारे तहरीर अभियोग अंकित करने के लिए आपके पास भेजी जा रही है।

sd. Parkash Chand Insp.

निरीक्षक प्रकाश चन्द,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम

Dt. 31.01.2024

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक प्रकाश चन्द, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, बजरिया डाक मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला व इस कार्यालय से थाना मे प्राप्त हुई है। जो तहरीर के विवरण से धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 का अपराध होना पाया गया है। जिस पर आरोपीगण विजय सिंह, तत्कालीन G.M Central Cooperative Bank Kaithal व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के खिलाफ मुकदमा न. 08 दिनांक 06.02.2024 धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त ई.ए.एस.आई. बीरबल न. 1368/करनाल के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर अनुसंधान हेतु निजद अनुसंधानकर्ता निरीक्षक बीरभान न. 172/के.आर. के पास भेजी जा रही है। उच्च अधिकारीगण के आदेशानुसार अनुसंधानकर्ता निरीक्षक बीरभान को अभियोग के अनुसंधान करने बारे बजरिया टैलिफोन सूचित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां नियमानुसार उच्चाधिकारियों की सेवा मे बजरिया डाक भेजी जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): birbhan Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 172KR to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent
of Police)

No. (सं.): DSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)